

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड**  
**49वीं बैठक दिनांक 26 मई, 2014 से संबंधित कार्य बिन्दु**

क्र.सं.	कार्य बिन्दु	कृत कार्रवाई
1	<p>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत होटल भवन निर्माण हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों द्वारा प्रस्तावित निर्माण स्थल को कृषि भूमि से व्यवसायिक भूमि में परिवर्तित करने से संबंधित शासनादेश जारी करने हेतु राज्य प्रशासन से अनुरोध है।</p> <p>(कार्रवाई - सचिव,पर्यटन, उत्तराखंड शासन)</p>	
2	<p>वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकिंग सेवारहित 5,480 ग्रामों में ब्रॉड बैंड / वाई मैक्स कनेक्टिविटी पहुँचाने से संबंधित रोडमैप तैयार करने हेतु बी.एस.एन.एल. से पुनः अनुरोध किया गया।</p> <p>(कार्रवाई - बी0एस0एन0एल0)</p>	
3	<p>i) एन.आई.सी. द्वारा बैंकों के लिये Online creation of charge on land against loan पर "सॉफ्टवेयर" को बैंकों में लागू करने से संबंधित अध्यादेश जारी करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया।</p> <p>ii) बैंकों ने राज्य सरकार से पुनः अनुरोध किया कि उनके द्वारा जारी किए गए " वसूली प्रमाण पत्र " को राज्य / जिला के Website Portal पर " ऑन लाइन फाइलिंग " करने की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, ताकि बैंक ऋणों की बकाया राशि के अनुश्रवण में सुधार लाया जा सके।</p> <p>( कार्रवाई - राज्य सरकार / एन0आई0सी0 )</p>	

4	<p>राज्य सरकार से अनुरोध है कि बैंकों द्वारा 5 लाख तक के वित्तपोषित स्वयं सहायता समूहों को कृषि ऋणों की भाँति “स्टॉम्प शुल्क” से विमुक्त रखने की अधिसूचना जारी करवाने की व्यवस्था करें, क्योंकि अधिकतर एस0एच0जी0 गरीब ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है और इस हेतु प्राप्त बैंक ऋण राशि का उपयोग कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों के लिये किया जाता है।</p> <p><b>(कार्रवाई - सचिव, वित्त / सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखंड शासन)</b></p>	
5	<p>i) एस.एल.बी.सी. ने ग्रामीण विकास विभाग, उत्तराखंड शासन से पुनः अनुरोध किया कि उत्तरकाशी जिला के आरसेटी हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।</p> <p>ii) चम्पावत जिले में भी संस्थान हेतु चयनित भूमि को हस्तांतरित करने से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति राजस्व विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून से प्रतीक्षित है।</p> <p>iii) देहरादून आरसेटी संस्थान हेतु चयनित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन करना सचिव (शहरी एवं आवास विकास), उत्तराखंड शासन स्तर से प्रतीक्षित है।</p> <p><b>(कार्रवाई - सचिव (ग्राम्य विकास) / सचिव (शहरी एवं आवास विकास) / संबंधित निदेशक (आरसेटी)</b></p>	
6	<p>i) बैंकों द्वारा राज्य प्रशासन से पुनः अनुरोध किया गया कि डी0बी0टी0 चयनित जिलों के अतिरिक्त राज्य के अन्य 10 जिलों में भी लाभार्थियों का डाटाबेस संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों को उपलब्ध करायें ताकि भविष्य में इन जिलों में डी.बी.टी. के लागू होने पर, इस प्रक्रिया को सुगमतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके।</p>	

	<p>ii) राज्य प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि सभी पात्र निवासियों को “एन.पी.आर. संख्या / आधार कार्ड “ उपलब्ध कराये जायें, ताकि आधार संख्या को बैंक बचत खातों में समाविष्ट कर सुरक्षित बैंकिंग सेवायें प्रदान की जा सकें।</p> <p align="center"><b>(कार्रवाई - राज्य सरकार)</b></p>																					
7	<p>बैंकों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत “क्लस्टर एप्रोच विलेज” में बैंकिंग सुविधायें पहुँचाने हेतु तीन वर्ष - मार्च, 2013, मार्च, 2014 एवं मार्च 2015 तक की समय सीमा दी गयी है। संबंधित बैंक शीघ्र इन सभी गाँवों को बैंकिंग सुविधाओं से आच्छादित करें।</p> <p align="center"><b>(कार्रवाई - संबंधित बैंक)</b></p>	<p align="center"><b>बैंकवार 30 जून, 2014 तक की प्रगति</b></p> <p align="center"><b>बैंक का नाम ; _____</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>समय सीमा</th> <th>क्लस्टरों की संख्या</th> <th>आच्छादित क्लस्टर</th> <th>गाँव की संख्या</th> <th>आच्छादित गाँव</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मार्च, 2013</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>मार्च, 2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>मार्च, 2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	समय सीमा	क्लस्टरों की संख्या	आच्छादित क्लस्टर	गाँव की संख्या	आच्छादित गाँव	मार्च, 2013					मार्च, 2014					मार्च, 2015				
समय सीमा	क्लस्टरों की संख्या	आच्छादित क्लस्टर	गाँव की संख्या	आच्छादित गाँव																		
मार्च, 2013																						
मार्च, 2014																						
मार्च, 2015																						
8	<p>वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंकों द्वारा बिजनेस कॉर्रेस्पॉण्डेंट को दिये जाने वाले मानदेय (Honorarium) ` 3000/- प्रतिमाह के अतिरिक्त नाबार्ड भी उतनी ही राशि एवं लैपटाप, कम्प्यूटर (सहायक सामग्री) इत्यादि उपकरण क्रय करने हेतु, बी.सी. को उपलब्ध कराये ताकि वे अपना कार्य सुगमतापूर्वक कर सकें।</p> <p align="center"><b>( कार्रवाई - नाबार्ड )</b></p>																					
9	<p>सभी बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक जून, 2014 तक के त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. डाटा (विवरणी 1-49) जाँच कर दिनांक 19 जुलाई, 2014 तक अनिवार्य रूप से ई-मेल (agmslbc.zodeh@sbi.co.in) द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।</p> <p align="center"><b>(कार्रवाई - सभी बैंक / अग्रणी जिला प्रबन्धक)</b></p>																					

\*\*\*\*\*